

Order No:- 475LA/2020-21



केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.)  
18ए संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
**18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.**  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (LS)

दिनांक-24.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Dr. Farooq Abdullah** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. **138** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020.21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	ADA FATIMA	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
2	SUGRA FATIMA	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
3	SHAILA MANZOOR	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
4	MOHAMMAD AHTISHAM UL HAQ	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
5	ILTIJA ZEHRA	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
6	RISHAN HAIDER	ADMISSION ORDER ALREADY ISSUED		
7	TOUFEEQ SHAFI FAMDA	MOHD. SHAFI FADMA, MOB- 8491001431	4	NO.1, BATWARA, B.B CANTT., SRINAGAR
8	ISHFAQ AHMAD FAMDA	GULZAR AHMAD FAMDA, MOB- 7051855576	6	NO.1, BATWARA, B.B CANTT., SRINAGAR
9	IMRAN AHMAD JARA	SHAHANAWAZ JARA, MOB- 9541826061	1	NO.1, BATWARA, B.B CANTT., SRINAGAR
10	DANISH GULZAR	GULZAR AHMAD, MOB- 9419473790	6	NO.1, BATWARA, B.B CANTT., SRINAGAR

*फरूक अब्दुल्ला*  
क. पृ. 3.

निर्देश:-

(i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए।

(ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2020 है।

(iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।

पिया 06/08/20  
27/8/20  
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Dr. Farooq Abdullah माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, JAMMU संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)

